**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1492**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शन**

**1492. श्रीमती वंदना चव्हाणः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) के विरूद्ध दिसम्बर, 2019 से कुल कितने प्रदर्शन हुए, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कितने लोग घायल हुए या मारे गए, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ग) सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, निरोध में रखा गया और कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया, उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;**

**(घ) सीएए विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए कितने लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124क लगाई गई, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ङ) क्या सरकार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में नाबालिगों को अवैध रूप से निरोध में रखे जाने, सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता और पुलिस कर्मियों की ज्यादती के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और**

**(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त का समाधन करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

**-2-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1492, दिनांक 04.03.2020**

(क) से (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘लोक व्यवस्था’ और ‘पुलिस’ राज्य के विषय हैं। संबंधित राज्य सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा कानून तोड़ने वाले लोगों के विरुद्ध उपयुक्‍त कार्रवाई करने के लिए उत्‍तरदायी है। केंद्र सरकार राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करती है तथा कानून और व्यवस्था की बड़ी समस्या पैदा होने की स्थिति में राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती करके राज्य सरकारों की सहायता करती है।

किसी कानून के विरूद्ध प्रदर्शनों से संबंधित आंकड़े केन्‍द्रीयकृत रूप में उपलब्‍ध नहीं हैं।

\*\*\*\*\*